होने वाले इस हमले का कोई अहसास सरकार को नहीं होता।

श्रीमन्, सच तो यह है कि आज देश में जितने भी ईसाई दिखाई देते हैं, दरअसल वे सब हिन्दू ही हैं जिन्होंने किसी न किसी वक्त में कोई न कोई लालच में आकर, या फरेब में आकर अपना धर्म-परिवर्तन किया है। आजादी के पच्चीस साल बाद भी यह सिलसिला चालू है। यह उचित होगा कि यह सरकार अपने कर्त्तव्य को समझे।

सवाल यह है कि बाहर से इतनी तादाद में आ करके हमारे यहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को सरकार रोकती क्यों नहीं ? सरकार ने आज तक उनको इस बात की इजाजत क्यों दे रखी है ?

श्री उपसभापति : वर्मा जी, आप लंच के बाद फिर कंटीन्यू करेंगे। The House stands adjourned till 2-30 P. M.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI RAM SAHAI) in the Chair.

THE FOREIGNERS (AMENDMENT) BILL, 1968—*contd.*

श्री मान सिंह वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि धर्म परिवर्तन की आड़ में असामाजिक और अराष्ट्रीय कृत्य किये जायं, इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के उदाहरण बराबर हमारे सामने आते रहे हैं। श्रीमन्, इसी सदन में महाराष्ट्र के पादरी फेरर का जिक्र हुआ था, उनके सम्बन्ध में विचार किया गया था। उनकी इस प्रकार की गतिविधियां थीं जोकि प्रदेश के प्रशासन के विरुद्ध होती थीं और इसी कारण से महाराष्ट्र सरकार ने अपने प्रदेश से उनको निष्काषित कर दिया था। यद्यपि अब फिर उन्हें दूसरे प्रान्त में इजाजत दे दी गई है किन्तु इस पर विचार हुआ था और सरकार ने इस बात को मान लिया था कि उनकी महाराष्ट्र में जो गतिविधि थी वह उचित नहीं थी। श्रीमन्, इसी सदन में इस बात पर भी विचार किया गया था कि केरल से ईसाई मिशनरियों के द्वारा लड़कियों को बाहर भेजा जाता है, विदेश में बेचा जाता है, बेचने का व्यापार किया जाता है। उस पर बड़ा रोष प्रकट किया गया था और सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगायेंगे और इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही की जायगी किन्तु आज तक मैं नहीं समझ पाया हूं कि क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लगता ऐसा है कि सरकार इलैक्शन में मत लेने के कारण से इस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं उनकी अवहेलना करती है, उन की तरफ से आंख बन्द कर लेती है परन्तु मैं सरकार को यह बता दूं कि यह आवश्यक नहीं है कि जिन मतों के कारण से आप उनकी अराष्ट्रीय गतिविधि नहीं रोक सकते, उनकी सामाजिक गतिविधि नहीं रोक पाते वे हमेशा ही आपके वफादार बने रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसका उदाहरण देकर मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं।

मैसूर राज्य में 1971 ई० के लोक सभा के चुनाव में चर्च डिगनिटरीज सच एज राइट रेवरैंड एन० सी० सारजेंट—जो एक विदेशी हैं—और रेवरैंड डा० जे० आर० चन्द्रन्, प्रेसिडेंट क्रिश्चियन यूनियन आफ इण्डिया, ने कई बयान जारी किये जिसमें ईसाईयों से कहा गया था कि वह इन्दिरा कांग्रेस को वोट दें लेकिन इस सदन के असेम्बली के चुनावों में यह चर्च लोडर चुपचाप रहे। यदि उनकी चुप्पी इस बात की द्योतक होती कि वह भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो यह एक स्वागत योग्य बात होती लेकिन इस संदेह के कारण मौजूदा हैं कि मिशनरियों की यह चुप्पी इस वजह से थी और उन्होंने इस वजह से कांग्रेस का साथ नहीं दिया था क्योंकि हाल की भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में

[श्री मान सिंह वर्मा]
सरकार की नीति के कारण इन मिशनरियों के मुख्य फाइनेंसर श्री निक्सन को नीचा देखना पड़ा था और इस कारण से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया।

श्रीमन्, यदि सरकार भारत में विदेशी प्रभाव को खत्म करना चाहती है तो इसे सब से पहले इन विदेशी मिशनरियों को यूरोप और अमेरिका के उन मिशनों में भेज देना चाहिये, जहां इनकी जरूरत है।

इससे हम ईसाई देशों की सद्भावना भी प्राप्त कर लेंगे। उन देशों में ईसाई पादरियों और नन्स की कमी है। यूरोपीय और अन्यत्र देशों में प्रीस्ट्स और नन्स की कमी है। इसी कारण केरल से नन्स का इम्पोर्ट जो करते है, उस इम्पोर्ट को रोका जा सकता है। ऐसा इन कैथालिक्स की राय थी :-

> If in Catholic hierarchy, Indian Christians can rise to the position of Cardinals (there are already two) and if Indian Nuns are good enough for European Convents, there is no reason why we should seek the services of foreign missionaries in India.

श्रीमन्, मैसूर में 1971 के चुनाव में चर्च ने इंदिरा कांग्रेस का साथ दिया। अब वहां के मुख्य मंत्री श्री देवराज उर्स चर्च की खिदमत का उन्हें सिला दे रहे हैं। सुनने में आया है कि चर्च को मैसूर में वही रियायतें दी जाने वाली है जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्राप्त है। मैं चाहता हूं सरकार इसको जांच करे और इस सदन को इस बात से अवगत कराए, जिन्होंने अपना धर्म-परिवर्तन किया है समय-समय पर। शेडयूल्ड कास्ट्स की जो पार्लियामेन्टरी कमेटी है, उसके सामने भी इस प्रकार की मांग आई थी कि जो शेडयूल्ड कास्ट्स के लोग क्रिश्चन्स हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं, उनको भी उसी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिएं जो कि हरिजनों को मिल रही है। यह बराबर मांग रही है और सरकार ने अभी तक यह अच्छा ही किया है कि इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। किन्तु अब हमें पता लगा है कि अलग-अलग प्रदेशों में इस मांग को किसी न किसी रूप में माना जा रहा है। मैं नहीं समझ पाता, जिसने अपना धर्म-परिवर्तन कर लिया, फिर उसको इस प्रकार की सहूलियतें देने की क्या आवश्यकता है ?

श्रीमन्, गांधी जी ने 6 मार्च, 1937 के हरिजन में लिखा था कि यदि उनके हाथ में सत्ता आ जाए तो वे विदेशी मिशनरियों की खतरनाक गतिविधियों पर प्रतिबध लगा देंगे। पंडित नेहरू जी ने इन दि रिलप्सेज आफ वर्ल्ड हिस्ट्री में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि किस तरह से विदेशी मिशनरी दुनिया के हर हिस्से में खतरनाक कार्यवाहियां करते हैं, और जब चीन और जापान के क्रिश्चियन मिशनरी की एक्टिविटीज पर प्रतिबन्ध लगाये थे, तो पंडित नेहरू ने उनका स्वागत किया था। यह बड़े ही दुःख की बात है कि सत्ता में आ जाने के बाद प्रधान मंत्री नेहरू भी इस बात को भूल गए और उनकी सुपुत्री भी इस बात को भूल गईं, जिस चीज को वे कहते थे कि उनकी गतिविधियां खतरनाक हैं, अराष्ट्रीय है, सत्ता के आने के पश्चात् मैं नहीं समझ पाता कौन सी बातें हैं, जिनके कारण वे खतरनाक गतिविधियां खतरनाक नही रहीं।

श्रीमन्, वे विदेशी मिशनरी यहां की जनता का धर्म-परिवर्तन कराते है, क्योंकि इससे उनके फालोअर्स का नम्बर बढ़ता है। पंडित नेहरू के जमाने में नागालैण्ड का राज्य इसलिये बना, क्योंकि इन क्रिश्चन मिशनरियों के भोले भाले नागाओं का धर्म भारी सख्या में परिवर्तन कर दिया था और आज नागालैण्ड एक क्रिश्चियन स्टेट के रूप में हमारे सामने है। श्रीमन्, आज कई जगह हमारे प्रदेश है, राज्य हैं, लेकिन भारतवर्ष में कम से कम एक "लैण्ड" भी है और वह केवल नागालैन्ड है। वह प्रदेश नहीं है। आखिर वह प्रदेश से लैण्ड क्यों बना है ? इसी कारण कि वहां पर उन लोगों की बहुतायत हो गयी जो उसको प्रदेश कहना नहीं चाहते थे, लैण्ड कहना चाहते थे। फिर दूसरे यह भी आप एडमिट करेंगे, इस बात को अभी आप मानेंगे कि

उनकी गतिविधिया नागालैण्ड बनवाने मे या परम्पराओं को समाप्त करवाने मे केवल धार्मिक बात ही नही है, उनका हस्तक्षेप निरन्तर हमारी राजनीति मे, हमारी नीतियों में दिन प्रति दिन बढता चला जा रहा है । श्रीमन्, मै यहा तक कहूगा कि पाकिस्तान भी इसलिए बन सका; क्योकि पजाब और बगाल मे हिन्दुओं की सख्या कम हो गई थी ।

श्रीमन्, विदेशी ईसाई मिशनरी भारत के पिछड़े क्षेत्रों मे ज्यादा एक्टिव है, इन क्षेत्रों मे धर्म परिवर्तन का काम बहुत आसान है । कैसे कैसे तरीकों से भारतीयों को ईसाई बनाया जाता है । इसका उल्लेख जस्टिस नियोगी ने अपनी रिपोर्ट में किया है । उन्होंने कहा है कि धर्म परिवर्तन नावाजिब प्रभाव डाल कर और कई तरह के लालच देकर किया जाता है। ईसाई मिशनों द्वारा जो स्कूल चलाये जा रहे है, उनमे पढ़ने वाले स्टूडेन्ट्स को कुछ वजीफे देकर, मुफ्त किताबे और मुफ्त शिक्षा देकर ईसाई बनाया जाता है । रुपया कर्ज देकर भी धर्म-परिवर्तन करके ईसाई बनाया जाता है । यदि कोई हरिजन ईसाई बन जाता है तो उसके भाई, बहिन, मा-बाप आदि रिश्तेदारो को ईसाई बनाने के लिए दबाव डाला जाता है । हरिजन और ट्राइबल्स की ईसाई बनाने की खास योजना इन ईसाई मिशनरियो के पास है । इसका कारण यह है कि हरिजन और ट्राइबल क्षेत्रों मे अस्पतालों, स्कूलों, यतीमखानों और अन्य समाज कल्याण सेवाओ की कमी हैं । इसकी जिम्मेदार तो सरकार भी है। यदि सरकार पिछड़े इलाकों मे इस प्रकार के राहत के काम करे, स्कूल खुलवाये, उनकी शिक्षा की, उनकी दीक्षा की, उनके खाने-पीने की हर प्रकार की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो तो मै यह समझता हूं, इस प्रकार की मिशनरियों की गतिविधिया निष्क्रिय हो जाएगी, वे ज्यादा कारामद साबित न होंगी । जहा तक मानवता का सम्बन्ध है कि वे पिछडे हुए इलाके मे जाते है, पिछडे हुए इलाके में जाकर इस प्रकार का कार्य करते है—हालाकि लोगो का स्तर ऊंचा करने का प्रयत्न करेगे, वहां तक ठीक है—लेकिन कोई अच्छा काम जिसके पीछे कोई स्वार्थ है, वह अच्छा काम नहीं रहता है । उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार भी हो सके उनकी सेवा की जाय और सेवा करके उन्हें वशीभूत किया जाय और फिर अपने धर्म का प्रचार किया जाय । श्रीमन्, जैसा मैने प्रारम्भ मे कहा था कि धर्म के प्रचार करने की स्वतत्रता है, धर्म का प्रचार कर सकते है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात की आवश्यकता है कि धर्म प्रचार के साथ हमारी परम्परायें और हमारे ट्रेडिशन समाप्त न हो जाय ।

श्रीमन्, आपको यह जान कर हैरानी होगी कि ईसाई मिशनरियों ने नियोगी रिपोर्ट की, जो उनकी एक्टीविटीज का पर्दाफाश करती है, सब कापीज खरीद ली थीं और उन्हे आग की भेंट कर दिया था, जला दिया था और इस तरह से उन्होने अपना रोष प्रकट किया । उसमें स्पष्ट बातें कही गई थी और इस बात को माना गया था कि धर्म परिवर्तन बलात् किया जाता है, आकर्षण देकर किया जाता है, प्रलोभन और लालच देकर किया जाता है ।

श्रीमन्, ईसाई मिशनरी संस्थाओं को विदेशों से रुपया मिलता है । ऐसा अनुमान है कि 1947 से उनको 200 करोड़ रुपया मिल चुका है । श्रीमन्, हमारे देश में पी० एल० 480 का जितना रुपया है, उसके बारे मे आप स्वयं जानते है कि उसमें से 20 प्रतिशत जो है, उसका कोई हिसाब आपकी सरकार नही मांग सकती है । मै आपको बतला दू कि वह 20 प्रतिशत रुपया इन मिशनरियो को जाता है और इन मिशनरियों के द्वारा यहा पर एन्टी नेशनल एक्टीविटीज की जाती है जो सब आपके सामने है । इधर देश के अन्दर बडा शोर सी० आई० ए० के बारे मे मचा और चारों तरफ सी० आई० ए० की बाढ जैसी आ गई। आखिर सी०आई०ए० मे कौन लोग है और सी० आई० ए० किन लोगो के हाथो मे है ? आज सी० आई० ए० इन्ही मिशनरियो की हाथो मे है और यह रुपया वहा पर बरबाद होता है । यह रुपया इन लोगो को यहा पर दिया जाता है । क्या आपने इस बात की खोज करने की कोशिश की कि यह रुपया लेकर यह लोग क्या काम करते है ?

[श्री मान सिंह वर्मा]

किसी राजनीतिक बात को लेकर ये लोग देश में एक हवा खड़ा कर देते हैं और इस तरह का कार्य इन्हीं लोगों का काम है । इस प्रकार के मिशनरी लोग दूसरे देशों से भी आकर यहां पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं । यहां की परम्पराओं, यहां के सामाजिक बन्धनों और यहां के सामाजिक कृतियों तथा राजनैतिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं । क्या हमारे योजना मंत्री इस रुपये का उपयोग सामाजिक कार्यों में करने की कोई योजना बनाने की हिम्मत रखते हैं ? यह रुपया सोशल वर्क के नाम से भारत आता है और सरकार को इसका सही उपयोग करने के लिए योजना बनाने का हक होना चाहिए ।

जैसा मैंने अभी कहा कि इन मिशनरियों के कारण भारत में लिंगविस्टिक प्रोविन्स बने और उस समय भी ईसाई मिशनरियों ने किस प्रकार से हिस्सा लिया था, यह बात आपसे छिपी नहीं है । बम्बई राज्य में और अलग-अलग प्रान्तों में इन मिशनरियों ने किस प्रकार से अपने अलग-अलग अड्डे बना रखे हैं, उसके विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । बम्बई राज्य स्पेनिश पादरियों के अधीन है । पटना, जमशेदपुर और बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र अमरीकी पादरियों के अधीन है । बंगाल और यू० पी० बेलजियम के पादरियों के लिए रिजर्व रखा गया है । कर्नाटक में इटली के मिशनरीज हैं । गोआ में आज भी पुर्तगाली पादरी काम कर रहे हैं । फ्रेन्च पादरी मद्रास मदुराई और त्रिची में सक्रिय हैं । बेलगाम और पूना में जर्मन और स्विस मिशनरीज सक्रिय हैं । जब किसी पादरी से इस जैसुस राज के बारे में बातचीत होती है तो उनका रिएक्शन यह होता है "Why should you bother? Your secular rulers have no objection." जब यह कहते हैं कि ये तमाम बातें हो रही हैं तो उसका जवाब यह आता है कि आपकी सैक्युलर स्टेट है और इसमें हर एक को स्वतंत्रता है । सैक्युलरिज्म का मतलब यह तो नहीं है कि असामाजिक कार्य किया जाय जिससे राष्ट्र को क्षति पहुंचे । श्रीमन, 1947 के बाद मिशनरियों की संख्या चार गुना बढ़ गई है । मैं आपसे निवेदन करूं कि आजादी से पहले मिशनरियों की संख्या 1,500 थी और '58 के बाद वह लगभग 11 हजार हो गई और आजादी के बाद यह संख्या बराबर बढ़ती चली जा रही है ।

श्रीमन्, दुनिया के साम्राज्यवादी ईसाई देशों ने मिशनरियों की सहायता से कई स्थानों पर सफलता प्राप्त की है । अमरीका के रैड इंडियन्स, सेन्ट्रल अफ्रीका के नीग्रो ट्राइबल्स और भारत में नागाज इसके उदाहरण हैं । यानी मिशनरीज के द्वारा किस प्रकार राजनीतिक लाभ उठाया गया है, इसके उदाहरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं । मध्य प्रदेश के इन्दौर के क्रिश्चियन मिशनरी कालेज का आफीशियल ऐम यह है—

> "To bring Christian influence to bear directly upon the people of the Central Indian States."

श्रीमन्, भारत में इन मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के विद्यार्थियों में अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति घृणा सिखाई जाती है और विदेशी संस्कृति, विदेशी धर्म और विदेशी भाषा और विदेशी हीरोज के प्रति प्रेम करना सिखाया जाता है । मैंने प्रारम्भ में यह बात कही थी कि अपनी इच्छा से किसी धर्म के प्रति आकर्षित होकर, उसके सिद्धान्तों के प्रति आकर्षित होकर कोई भी किसी मत को मान सकता है, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन उस धर्म के मानने के पश्चात् जो वास्तव में राष्ट्र की आत्मा होती है, जिसको संस्कृति कहते हैं, जब उस पर आघात होता है, जब वह छोड़ दी जाती है तो वह राष्ट्र के हित में नहीं होता । हमारी सरकार के मंत्रियों, बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों और बिजनैसमैन के लड़के-लड़कियां इन क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते हैं और विदेशी कल्चर के रंग में रंगे जा रहे हैं । इसका नतीजा आपने देखा है । आजादी के पश्चात् देश के अन्दर जितनी विदेशी सभ्यता बढ़ी है, शायद उसके पहले उतनी विदेशी सभ्यता नहीं थी । उसका सबसे बड़ा

नतीजा यह है कि हम अपनी सभ्यता और सस्कृति को भूलते जा रहे है । धर्म प्रचार के नाम पर विदेशी सभ्यता और सस्कृति का जो रग चढाया जाता है, उसके प्रभाव से हमारी भोली-भाली जनता अपनी परम्पराओ और सस्कृति को भूलती जा रही है ।

श्रीमन, इतना ही नही, विदेशी क्रिश्चयन मिशनरी हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए भी खतरा है । कुछ समय हुआ न्यूयार्क टाइम्स मे यह खबर छपी थी कि सी० आई० ए० जासूसी के काम के लिए इन ईसाई मिशनरियो की सहायता लेता है । जो बात मैने अभी कही थी वह अमरीका के प्रेस की कही हुई है, वह मेरी कही हुई बात नही है । मैं सरकार से प्रार्थना करता हू कि वह इस आरोप की जाच करे । नेशनल सिक्योरिटी के मामले मे सरकार को ढील नही बरतनी चाहिए । राजमुन्द्री मे रेवरैंड एडवर्ड्स से एक अनलाइसेन्स्ड ट्रासमीटर बरामद हुआ था जो क्राइस्ट के नाम पर चलाए जा रहे एक अनाथालय मे छिपा कर रखा गया था, यानी पादरी के पास से जो हाइली प्लेस्ड और बहुत रेस्पेक्टेबिल समझे जाते है धर्म प्रचार के काम मे उनके यहा ट्रासमीटर मिले और उनके द्वारा अराष्ट्रीय गतिविधिया हो, इससे समझा जा सकता है कि धर्म प्रचार किया जा रहा है या उसकी आड मे कुछ और किया जा रहा है । रेवरैंड एडवर्ड्स को, जो अपने आपको सर्वेन्ट आफ गौड कहता है, मजिस्ट्रेट ने दोषी पाया और 2,000 रुपए जुर्माना इस सर्वेन्ट आफ गौड पर बिना लाइसेंस ट्रासमीटर रखने पर किया । मै सरकार से पूछना चाहता हू कि सरकार कब तक हमारे डिफेंस सिस्टम के साथ खिलवाड करती रहेगी और इन विदेशी मिशनरियो द्वारा हमारे डिफेंस सीक्रेट्स हमारे दुश्मनो के पास भिजवाती रहेगी । श्रीमन्, मै केवल चाहता हू कि हमारे मत्री जी और विशेष कर हमारी प्रधान मत्री जी श्री विजयानन्द भारती द्वारा लिखित पुस्तक 'कैन इण्डिया फेस दिस चैलेंज' नामक पुस्तक पढ ले, उससे उन्हे पता लगेगा कि किस प्रकार से ये ईसाई विदेशी मिशनरी हमारे देश को खोखला कर रहे है । इस पुस्तक से कुछ उदाहरण मैने आपके सामने रखे है ।

अन्त मे मै केवल एक ही बात कहना चाहता हू माननीय मत्री जी से कि भारतीय परम्परा और भारत मे जो लोग रहते है, उनमे बहुसख्यक लोगो को भले ही हिन्दू कहा जाय, लेकिन मै उनको भारतीय कहता हू और उनको भारतीय मानता हू और मैं मानता हू कि हिन्दू कोई धर्म नही है हिन्दू (इज्म) इज ए वे आफ लाइफ और यहा का जो वे आफ लाइफ है, यहा की जो जीवन पद्धति है, उसी जीवन पद्धति को इनके द्वारा समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता रहा है और जब ऐसा होता है तो वह एक अखरने वाली बात होती है और मै उस बात को अराष्ट्रीय बात कहूगा । श्रीमन्, सभ्यता और सस्कृति मे केवल इतना ही अन्तर होता है कि सभ्यता केवल एक बाह्य रूप है मानव का और सस्कृति मानव का एक आतरिक रूप है । श्रीमन्, सस्कृति का सबध आत्मा से होता है और राष्ट्र की आत्मा उसकी सस्कृति होती है । सभ्यताये बदलती रहती है, खाना खाने का सिस्टम, कपडा पहनने का सिस्टम बदल सकता है, लेकिन हमारी जो परम्पराये चली आ रही है उन पर जब आघात होता है, जब वह बदली जाती है तो उसके मायने यह है कि हमारी सस्कृति पर, हमारी आत्मा पर आघात किया जा रहा है और राष्ट्र की आत्मा समाप्त की जा रही है । जिन बातो को लेकर हम गर्व से अपना सिर ऊचा करते है, जब वह समाप्त हो जायेगी तो यह राष्ट्र कैसे बनेगा और इसका क्या रूप होगा ? तो मैने इन्ही बातो से प्रेरित होकर इस ऐक्ट मे सशोधन करने का बिल प्रस्तुत किया है । भारत मे वैसे तो कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन जो विदेशी मिशनरी है उनके द्वारा प्रचार क्यो किया जाता है ? विदेशी मिशनरियो को यहा आने की इजाजत क्यो दी जाती है ? मै आप को याद दिला दू कि भारत मे रहने वाले जो मिशनरी है उन की ओर से यह आवाज उठी है कि बाहर के मिशनरीज हमारे कामो मे दखल क्यो देते है । वह यहा के कामो मे अपनी सुप्रीमेसी क्यो दिखलाते है ? तो मैं चाहता हू कि भारत मे यहा के मिशनरी काम करे, अपना धर्म प्रचार करे । वह यहा के रहने वाले

[श्री मान सिंह वर्मा]

हैं, उनकी पृष्ठभूमि यहां की है, उनकी जन्म-भूमि भारत है और भारत को वह अपनी कार्यभूमि मान कर चलते हैं और यहां रह कर वे अपनी पूजा पद्धति किसी प्रकार की भी अपना सकते हैं। भारत की जो परम्परा रही है वह यह रही है कि भारतवासियों ने कभी भी किसी प्रकार की पूजा पद्धति का विरोध नहीं किया है। भारत की परम्परा यह रही है कि भारत के समाज ने, भारत निवासियों ने कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश नहीं की। जो यहां आया है उसको हमने आत्मसात् किया है। यहां के रहने वाले जो अपने आप को हिन्दू कहते हैं उनकी नाना प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं। उनमें से कोई मूर्ति को तोड़ता है तो कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई यज्ञ करता है तो कोई गोश्त खाता है। कोई चोटी रखता है और कोई चोटी नहीं रखता है। तो धर्म के मामले मे यहां हर प्रकार की उदारता रही है और इस कारण धर्म परिवर्तन करने से लोगों की भावनाओं पर आघात होता है। यहां जिसको जिस पर श्रद्धा है उसी को अपना इष्टदेव मान कर वह चल सकता है। लेकिन इसकी आड़ में जो एक जहरीला प्रचार छिपा हुआ है, जो अराष्ट्रीय है और जो हमारे राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है और हो रहा है उस के उदाहरण मैने अभी दिये है, और उनके अतिरिक्त और भी अनेक उदाहरण हैं। मेरे पास समय नहीं है कि किन उन तमाम आंकड़ों और उदाहरणों को आपके सामने रख सकूं, अत: मै इस बिल के द्वारा इस सम्मानित सदन से और अपने सम्मानित संसद् सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस बिल का वे समर्थन करें और इस बिल के पास हो जाने के पश्चात् मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रकार की शक्ति मिल सकेगी कि जो विदेशी मिशिनरी हैं उनकी जो अराष्ट्रीय और असामाजिक गतिविधियां हैं उनको सरकार रोक सके। इस कथन के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

The question was proposed,

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ (Himachal Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, I think at this stage—or even earlier—it is not possible and it is not desirable that we can put a stop to the entry of foreigners into our country. Ours is a vast country, there are wonderful things here. And why should we deny the visit to our country of anybody on earth ?

Now, the point is that there are some sort of foreigners like the hippies. Their activities have become so doubtful that it is

3 P.M.

high time that we had a strict watch over their activities. The remedy to this situation is that these people should be properly registered and licensed. Their activities should be thoroughly watched by our Government. I must say a word of appreciation for the work that the foreign missions have done in our country. In the field of education and medicine they have done much. In the field of higher values of life they have done much. Recently I was in Goa. Whereas earlier they did not know what is life, now they know how to live properly, how to make a small beautiful hut.

Sir, our country is a vast country and there are people with many habits and many ways of life. Goa which was once backward has been transformed by these missionaries. Therefore, we cannot deny that we must be thankful to them for the work that they have done in our country. Now the stage has come when in the interest of our nation it is necessary for us to have certain sort of control over their activities. I am sorry to observe that what these missionaries now are doing in our country is to teach their foreign ways of life. We have now decided to create a socialistic pattern of society. But the activities of these missionaries are such that they do not fully encourage that way of life. They teach an abnormal way of living, just like time-serving. The result is that our future generation is being moulded in that direction. Not only innocent and ignorant people but also the educated people are attracted by their way of life, the officers who are, in charge of execution of policies in our country, the educated class are tempted by them. Whereas in order to create a socialistic pattern of society what is needed is a simple way of life inkeeping with the Indian traditions, inkeeping with the Indian resources, inkeeping with the Indian society. Therefore, at this stage not only control, even restriction on their activities is necessary.

For example, the missionaries have their schools here and they open new ones. You know perhaps that most of the missionary schools have been opened with concessions granted by Government. Since we cannot allow concessions to our private schools, we should not give so many concessions, liberal concessions to these missionary institutions. I remember a case at Bombay. In the Fertililiser Corporation of India the missionary schools applied for certain concessions. They wanted free land. They wanted all facilities. For their way of life why do they want facilities ? We agree that anybody can carry on useful activities in our country. But what is needed is two things—proper control and no undue liberal concessions.

Lastly, these hippies are not landing any charm to our country mess. As a matter of fact, they are unwelcome guests. There should be proper control over them and their activities. It is feared that they might be spies or doing things which may not be desirable in the interest of our nation. Therefore, some check on these unwelcome guests is necessary.

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, श्री मानसिंह वर्मा जी ने देश का ध्यान एक अहम जो देश के अन्दर हालत है, उनकी तरफ दिलाया । जहां तक उनके ध्यान आकर्षण करने का सम्बन्ध है, मैं उनसे बहुत बातों में सहमत हूं और हमारा विधान भी सहमत है क्योंकि हमारे देश के अन्दर कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं कर सकता है, चाहे वह हमारे देश का रहने वाला हो, चाहे विदेश का । तो यहां जब हमारे देश वाला किसी के धर्म परिवर्तन या मत परिवर्तन करने का बलात्कार नहीं कर सकता तो बाहर वालों को भी इजाजत नहीं दी जा सकती ।

प्रश्न इस बात का है कि आया हमारे देश का जो कानून है, उसमें इस विधेयक के द्वारा वह संशोधन कराना चाहते है, उसकी आज आवश्यकता है या नहीं । मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जहां तक उन्होंने जो तथ्य रखे जो बातें रखीं उनमें बहुत वजन है, बहुत जरूरी है उनके ऊपर देखरेख करना और रखी गई है ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि विदेशी मिशनरी जो यहां पर आये उन्होंने क्या क्या काम किये, कई ने बहुत अच्छे काम किये, कई ने देश के हितों के खिलाफ काम किया । हमारी आजादी के बाद का इतिहास भी साबित करता है ।

मानसिंह वर्मा जी ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और वह भूल गये कि जब उन्होंने देखा कि कुछ विदेशी मिशनरी देश के हितों के खिलाफ कार्यवाही कर रही थीं तो उनको देश से निकाला दे दिया था । तो हमारे कानून में काफी गुंजायश है कि जो कोई भी हमारे देश के हित के खिलाफ कार्यवाही करेगा उसका हम आज के कानून से सख्ती से मुकाबला कर सकते हैं ।

उपसभाध्यक्ष जी, जो तथ्य उन्होंने रखे बहुत सारी मिशनरियों के बारे में, वह सही है और यह भी सही है कि बहुत सारे सी०आइ०-ए० के जो एजेन्ट है वह विदेशी मिशनरीज के रूप में आते हैं और यह भी सही है कि काफी रुपया जो धर्म प्रचार के नाम से हमारे देश में खर्च करते हैं, वह कुछ दूसरे उद्देश्यों को लेकर खर्च करते हैं । लेकिन सरकार के पास काफी कानून के अन्दर हथियार हैं जो उनका मुकाबला कर सकते हैं । हम जो विदेशी यहां है उनको भी निकालें या बाहर वालों को न आने दें, इससे आया जो हमारा उद्देश्य है वह हम पूरा कर सकते हैं या नहीं करते हैं, यह सोचने की बात है । दूसरे यह भी है कि सारे विदेशों के जो मिशनरी यहा पर आये उन्होंने सबने ही देश के हित किया हो, ऐसी बात नहीं । हां हम जो हमारे देश के, राष्ट्र के हितों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं उनके ऊपर चिन्ता प्रकट करना उचित है, वहां हमको यह भी मानना होगा कि उन्होंने कुछ भला भी किया । नागालैंड का वर्मा जी ने जिक्र किया, लेकिन इस बात को भूल गये कि हमारे देश के अन्दर बहुत सारे धर्म प्रचार करने वाले हैं जो धर्म के प्रचार में बहुत तेज हैं ऐसा दावा करते हैं, लेकिन वह ऐसे स्थानों पर ऐसे आदमियों के पास सेवा के जारिये पहुंचने में असमर्थ रहे या नहीं पहुंचे जहां कि वह लोग, ये विदेशी मिशनरी पहुंचे । बड़ी बड़ी कठिन जगहों पर जाकर उन्होंने दरअसल में

[श्री रणवीर सिह]
उनकी सेवा की और बहुत सारों का सेवा के जारिये, उनके मन को जीतकर धर्म परिवर्तन किया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता उन्होंने अस्पताल खोले, स्कूल खोले उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध किया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। हा जहां देश के हितों के खिलाफ कोई कार्यवाही करे चाहे वह शिक्षा के जारिये करे, चाहे भिक्षा के जरिये करे उनके ऊपर रोक होनी चाहिए। तो दर-असल मे अगर कोई विधेयक लाना है तो मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूगा कि उनका विधेयक विदेशी मिशनरीज के यहां आने या यहां से जाने के चक्कर मे न पड करके वह इस ढग का विधेयक लाते तो इस सदन में बहुत सारे सदस्य उनसे सहमत होते कि जो कोई भी इस देश के अन्दर, चाहें वह हमारे देश का रहने वाला हो, या विदेश से आना हो, यहां दूसरे दूतावासों के जरिये उनके मुलाजिमों के जरिये देश के हितों के खिलाफ कार्यवाही करता हो, उनको हमें रोकना चाहिए।

श्रीमन्, बहुत सारे भाइयों ने सी० आई० ए० का जिक्र किया और अभी हमारे यहां वह प्रस्ताव चलता भी है। बहुत सारे ऐसे भाई है जो कि अमेरिका जाते है और हिन्दुस्तान की हालत के लिए कहते हैं कि यह क्या देश है, कुछ देश नही है, कुछ नहीं है लेकिन वह इस बात को भूल जाते है कि अमेरिका जैसे साहूकार देश के अन्दर, वाशिगटन के अन्दर, आज कोई आदमी शाम को जो वहा बड़े-बड़े पार्क्स है उनमें जा नहीं सकता है। वह इस बात को भूल जाते है। बड़ा जिक्र किया त्यागी जी ने। यह बडी चिन्ताजनक बात है अगर किसी एक बहन की भी बेइज्जती होती है अगर वह रेल के जरिये जाती है या पैदल जाती है। वह बुरी बात है लेकिन इसके साथ साथ यह भी सही है कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर लाखों और करोड़ों बहने देहात के अन्दर और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में खेतो में काम करने के लिये जाती है, दिन मे काम करती है और रात में काम करती है और उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं होती है। एक भी बहन के लिए ऐसा हो तो उसके लिये चिन्ता प्रकट करनी चाहिए लेकिन यह मान लेना कि चूकि एक दो जगह ऐसा हुआ इसलिए देश की सारी हालत खराब हो गयी, ऐसा सोचना भी कोई अच्छा नहीं है। ऐसे ही कोई विदेशी पादरी एक दो खराब काम करें तो वह ठीक नहीं होता है लेकिन सब के लिये सोचना कि सब खराब है ठीक नही। सी० आई० ए० का दरअसल में एजेन्ट कौन है। मैं तो कहूगा कि जो पैसा लेता है वह ही नहीं है बल्कि जो इस देश की निन्दा करता है, इस देश की मुश्किलात को नही समझता कि हम किन मुश्किलात से इस देश के अन्दर आज चल रहे है, वह भी है। हमारे देश के अन्दर हर एक भाई को अपने ढंग से, अपने तरीके से, अपने मजहब के मुताबिक चलने का जहां अधिकार है वहा हर एक को बोलने का भी अधिकार है। हर भाई को, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, चाहे वह यह न जानता हो कि हथियार क्या चीज है लेकिन वह डिफैंस मिनिस्टर को जितना भी चाहे अच्छा बुरा कह सकता है, वह हमारे जेनरल्स की निन्दा कर सकता है, हमारे बड़े से बड़े इंजीनियर्स की निन्दा कर सकता है, प्रधान मंत्री की निन्दा कर सकता है, उसके ऊपर कोई कानून में रोक नही है। तो यह एक आजादी है जिसका नाजायज फायदा भी उठाया जाता है और कुछ आदमी बेसमझी से भी ऐसा करते है कि वह विदेशों की बहुत तारीफ करते है। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा कि हमारे देश मे लोग क्या करते है, एक भाई बड़े अच्छे विशेषज्ञ थे, 1700 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी, इसके बावजूद मुश्किलात से घबडाकर के आत्म हत्या कर गये और दोनों सदनों में उनके लिये बहुत बड़ी आवाज उठी जैसे कि आत्महत्या करने वाला बहुत अच्छा आदमी है। वह आदमी कमजोर है और उसको बढावा देने वाली बात सोची जाती है। दरअसल मे मुश्किलात से टक्कर लेना ही एक बहादुर का धर्म होता है और जिनको देश बनाना है उनको मुश्किलात से टक्कर लेनी पड़ती है। मै जानता हू कि त्यागी जी ने जवानी में बड़ी-बड़ी मुश्किलात से टक्कर ली और आज भी लेते हैं

लेकिन अब वह जरा कुछ कमजोर हो गये है और मुश्किलात से टक्कर लेने के बजाय, हौसला रखने के बजाय, ऐसी बाते कहने लग गये है जिससे कि हौसला टूट गया हो ऐसा मालूम होता है। जिस इसान का हौसला टूट गया हो वह इस तरह करता है। मै तो जानता हू कि त्यागी जी बहुत बडे बहादुर है, महावीर उनका नाम है, दरअसल महावीर त्यागी है ..

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : यह आप वर्मा जी मे त्यागी जी पर कहा पहुच गये।

श्री रणवीर सिंह · आपके ऊपर भी आने वाला हू।

श्री पीताम्बर दास : मुझे डर तो इसी का हुआ कि कही हम पर न आ जाय और इसीलिये मैने आपको पहले से टोक दिया।

श्री रणवीर सिंह · उपसभाध्यक्ष जी, मै किसी को यह नही कहूगा कि सी० आई० ए० का एजेन्ट है। अभी वर्मा जी ने जिक्र किया सी० आई० ए० एजेन्ट का। मै कहता हू कि पैसे से ही सी० आई० ए० एजेन्ट नही बनता है बल्कि विचार से भी बनता है। आदमी के पास एक पैसा भी नही होता फिर भी जिन्दगी भर जनता का काम करता है और एक आदमी एक आना या दो आना का लाभ भी नही उठाता लेकिन फिर भी वही काम करता है जो कि सी० आई० ए० का एजेन्ट करता है। मैने देखा है कि हमारे देश के अन्दर 1965 ई० मे जब लडाई हुई और 1962 ई० मे जब लडाई हुई, ऐसी ऐसी बाते कही जाती थी देश के कोने कोने मे जो सत्य से बहुत दूर थी। जो हम कहते है शायद सी० आई० ए० एजेन्ट के दिमाग मे भी, ख्याल मे भी, नही आया होगा। ऐसी बाते करने से इस देश का इतजाम दरहम बरहम होगा। तो मै कहूगा, जो भाई कहते है पैसा मिलता है या नही मिलता है, चाहे वह विदेशो मे से हो, मिशनरियो मे से हो या देश भक्तो के रूप मे हो, ऐसे आदमियो से बचना चाहिये और देश के कानून मे रोक हम पूरी कर सके उसकी आवश्यकता है। जैसा सवेरे जिक्र हुआ, जो भाई नजरबन्द है, उनके बारे मे इस सदन को, दूसरे सदन को विचार करना चाहिए, नजरबन्दी के कानून पर। यह बात दुरुस्त है। हम खुद नजर बन्द रहे। त्यागी जी को हम कहते रहे, उस पर विचार किया जाय। आज हम कहे कि विचार न करो तो यह अच्छी बात नही है। लेकिन यह बात सही है, जब हम नजरबन्द हुये, हम देश को आजाद कराने के लिये लडे थे, हमको पता नही था कि हमको सदन के अन्दर मेम्बर बनना है। त्यागी जी को भी पता नही था कि उनको डिफेन्स के मत्रालय मे मत्री बनना है या हमको सिचाई और बिजली मत्रालय का मत्री बनना है। वह वक्त दूसरा था, उद्देश्य दूसरा था। उस समय की मुझे याद है, जब पहली दफा नजरबन्दी का कानून सरदार बल्लभभाई पटेल लाये थे तो उस वक्त उन्होने एक बात कही थी कि देश की रक्षा के लिये जिससे देश का निजाम दरहम बरहम न हो, उसको रोकने के लिये कानून लागू किया जाता है, उस बात मे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते है और एक वकील मे जितनी बुद्धि है और जितना उसने सीखा है उस सारे का इस्तेमाल वह देश के हित के ख्याल से करता है। इस ढग की बात सरदार पटेल ने कही। त्यागी जी के दिल मे सरदार पटेल के लिये बडी इज्जत है।

मै वर्मा जी से निवेदन करना चाहता था कि जहा तक इस बात का ताल्लुक है, कोई भी विदेशी मिशनरी या इस देश का भी मिशनरी, चाहे वह हमारे ही धर्म का मानने वाला है या दूसरे धर्म का मानने वाला है। बलपूर्वक किसी का धर्म-परिवर्तन नही कर सकता। दूसरे, हिन्दुस्तान के सविधान मे इस तरह धर्म-परिवर्तन का अधिकार किसी को नही दिया गया है और जो भी ऐसा करता है वह कानून की खिलाफत करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने मे सरकार को झिझक नही करनी चाहिये चाहे उसमे कोई हिन्दू है, मुसलमान है ईसाई है या और कोई मजहब का मानने वाला है, कोई विदेश का है या देश का है। लेकिन एक ही लाठी से सबको हाकना अच्छा नही है। विदेश के मिशनरी जिन्होने अच्छा काम किया उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनका आह्वान

[श्री रणवीर सिंह]

करना चाहिए। हां, यह बात सही है अपने धर्म में उनको विश्वास है, वे समझते हैं दुनिया में उनका धर्म सबसे अच्छा है, उसका वे प्रचार करें। लेकिन जबर्दस्ती यह प्रलोभन देकर लोगों का धर्म कोई बदले, यह अच्छा नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं, हमारे कानून में उसके लिये गुंजायश है। अगर गुंजायश नहीं होती तो उस वक्त अमरीका से जो मिशनरी आये हुये थे—उस वक्त अमरीका का बहुत बड़ा दबाव था हमारे देश के ऊपर और आज किसानों की कृपा से, देश की तरक्की की वजह से अमरीका का हमारे ऊपर दबाव नहीं है, हम अनाज के मामले में तकरीबन आत्म निर्भर हैं, अनाज जिस आदमी के पास न हो, उसको अनाज न मिले, तो उससे जो मरजी चाहे आदमी करवा सकते हैं—तो जिस वक्त पं० जवाहर लाल नेहरू ने अमरीका के मिशनरियों को यहां से निकाला था उस वक्त देश के लिये हमारे पास पूरा अनाज नहीं था तो क्या कानून में इस बात की इजाजत थी जो उस वक्त किया है ? आज क्या वह कानून दूर है या उसमें कोई कमी है ? तो मानसिंह जी से मैं प्रार्थना करूंगा वह चिट्ठी लिखें मंत्री महोदय को और अगर सरकार झिझक करती है, नहीं मानती है, या डरती है, तो हम भी उसके साथ हैं। कानून में तबदील करके आप समझें कि आपका इलाज हो जायेगा तो वह मुमकिन नहीं होगा। इलाज तो इलाज करने से होता है। तमाम कानून से, कागज के हुक्म से कन्ट्रोल हम करते हैं क्या ? कई चीजें कन्ट्रोल हो जाती हैं और कई नयी चीजें पैदा हो जाती हैं। केवल कानून से सब खराब बातें दूर नहीं होती हैं, एक हवा बनती हैं, एक वायुमंडल बनता है, वायुमंडल को बनाने में कानून काफी इम्दाद करता है। आज सवेरे का जो जिक्र महावीर त्यागी जी ने किया, क्या कानून में इजाजत है किसी बहिन के ऊपर हाथ डाले ? लेकिन डाला गया। तो कानून से सारी बुराई रुक जाने वाली है, यह बात सही नहीं है। दरअसल कानून बनाने से कोई बुराई रोकने की जरूरत है या नहीं, यह अहम प्रश्न है और वर्मा जी से भी मेरी यही प्रार्थना है कि इसमें कानून की तबदीली की आवश्यकता है या नहीं ? जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि जो अराष्ट्रीय लोग हैं, जो देश के हित के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें देश में जो इस समय कानून मौजूद है, उसके अन्तर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

उन्होंने नागालैंड की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूं कि नागालैंड के नाम से उनको इतनी आपत्ति क्यों है। मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर हरियाणा किसी प्रान्त का नाम रख दिया गया है तो उनको इस नाम से आपत्ति नहीं होनी चाहिए या कोई और नाम रख दिया गया है, तो उस नाम से उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रदेश को हिन्दुस्तान से अलग होने के अख्तियार दिये गये हैं, तो फिर इस चीज को मैं मान सकता हूं कि सरकार ने इस चीज पर कमजोरी दिखलायी है। नागालैंड को उतने अधिकार नहीं दिये गये हैं जितने उत्तर प्रदेश को दिये गये हैं, जितने अधिकार हरियाणा को सरकार को दिये गये हैं, नागालैंड शब्द से हम यह समझ लें कि वह ईसाई प्रदेश हो गया, तो यह मुनासिब मालूम नहीं देता है। अगर ईसाई वहां पर ज्यादा हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं हो गयी। राजस्थान में हिन्दू ज्यादा हैं और वहां का मुख्य मंत्री एक मुसलमान है। हमारे मुल्क में कौन ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर सब धर्म के लोग न हों, मंत्री न हों और दूसरे धर्म के मानने वाले न हों। आप इस बात से क्यों घबराते हैं कि वहां का मुख्यमंत्री एक ईसाई है। अगर किसी प्रान्त का मुख्यमंत्री ईसाई, मुसलमान या हिन्दू होता है, तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। असल में हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि वहां जो इतजाम है वह कायदे कानून के मुनाबिक होता हैं या नहीं। उन्होंने जिस प्रकार की चिन्ता प्रकट की है उससे मैं सहमत नहीं हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री दूसरे धर्म के मानने वाले नहीं है जो आपने उनके बारे में इतनी चिन्ता प्रकट की है। मैं आपकी चिन्ता में शामिल नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता

हूं कि धर्म के नाम से हम कहां जायेंगे । पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर अपने यहां राज्य कायम किया था और 25 साल के बाद धर्म के नाम पर राज्य करने पर उसके दो हिस्से हो गये । तो यह धर्म के नाम पर जो राजनीति चलाते हैं वह कोई अच्छा काम नहीं करते हैं । अगर हमारे देश में विदेशी मिशनरियां हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, अगर वे लोग कोई इस तरह की कार्यवाही करते हैं जो देश के हित के खिलाफ हो, तो उन पर रोक लगाई जानी चाहिए और रोक लगाने के लिये कानून में काफी गुंजायश है ।

मैं वर्मा जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस बिल को वापस ले लें वरना सरकार को इसकी आड़ में एक बहाना मिल जायेगा कि जब तो कानून पास हो जायेगा तब सब कार्य कानून के मुताबिक चलेगा । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन्हें देश के हित के खिलाफ कोई बात दिखलाई देती हो तो वे उसको मंत्री जी के सामने रख सकते हैं और आज भी उसका इंतजाम हो सकता है । वे जो बिल लाये हैं उससे वे यह समझते हैं कि इसके द्वारा उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जायेगी जो देश के हित के खिलाफ कार्यवाही करते हैं । इसलिए मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वह इस बिल को वापस ले लें क्योंकि सरकार इस मामले में काफी सचेत है ।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) : Yes, Mr. Minister.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : Mr. Vice Chairman, Sir,. . .

SHRI M. RUTHNASWAMY (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, is he replying to the debate ?

THE VICE CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) : Yes. You want to speak ?

SHRI M. RUTHNASWAMY : Yes, Sir. I want to speak. I think my name has been sent up.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) : Yes, you speak.

SHRI M. RUTHNASWAMY : Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all, I wish to take my stand purely on constitutional and legal grounds. According to article 25 of the Constitution—I am quoting it—"Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion". So, Sir, this article provides for the freedom of all persons, not merely the citizens of India and it is for all the persons either coming to India or residing in India to profess, practise and propagate religion and propagation includes conversion from one religion to another. So, Sir, the Constitution provides for such freedom of conscience, for such freedom of religious propaganda and I cannot see how Parliament would be entitled to pass a Bill putting obstacles in the way of exercise of this freedom, the freedom of religion of any person either coming from outside to India or residing in India. An Orissa Bill which wanted to restrict the freedom of conversion from one religion to another has been struck down by the High Court a month ago. This Bill, if it is passed, will be *ultra vires* of the Constitution. And, therefore, I do not see how this Bill can be passed or accepted by the House or by the Government. I hope that good sense of this House will prevail and prevent this Bill from proceeding any further.

As far as the allegations made by the hon. Member against the subversive activities of the missionaries are concerned, well, there is a law, ordinary law of the land. There is the Home Minister. There is also the paraphernalia of Government institutions. And there is the criminal law which prevents the undue use of this right. All these safeguards are there to prevent any abuse of this right of people to convert from one religion to another.

Especially, the timing of this Bill is very inappropriate. At a time when we are denouncing Uganda and other African countries for their racial prejudice, for their racist policy here we are bringing a Bill to prevent missionaries from outside from propagating their religion.

Sir, there is also the question of preservation of fundamental rights. I am surprised that a member of the Jan Sangh, which has been prominent in the defence of fundamental rights, should have brought in this Bill, which affects one of the most important fundamental rights guaranteed in the Constitution.

SHRI N. JOSEPH (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I vehemently oppose the Bill.

The hon. Member supported his argument by saying that there was a missionary in Mysore who asked Christians to vote for the Congress Party which is led by Mrs. Indira Gandhi. His argument seems to be not that these Christian missionaries are anti-national or subversive. But his feeling seems to be that the Christians committed a sin by supporting the Congress Government, and the Congress Party. It is not only Mysore, but the Christians in the whole country supported this Government and the Congress Party. I say, Sir, that it is not only the Christians of Mysore who vehemently supported the Government of Mrs. Indira Gandhi, but all down-trodden and oppressed people all over the country supported it. Is it a sin to support the Congress Government and Mrs. Gandhi's Government ? We supported Mrs. Gandhi because we believe that her policy is only the salvation for the oppressed.

Then, Sir, our friend misled the House by saying that the Christans have increased from 1936. He is ignorant of the facts now existing. No missionary, whose aim is to spread of any religion, is being given a transport. He is given a transport only when he wants to start his work as a technician or engineer or scientist or doctor is given a passport. No missionary can be allowed there if he intends evangelistic work. Therefore, it is not correct to say that missionaries are coming here to preach religion. Sir, he speaks about the Scheduled Castes and it seems that he is not able to digest the acts of the Government helping the Scheduled Caste Christians. Are they not born in this country ? Are they not having the same disadvantages along with their brethren Scheduled Caste people ? Is the Government morally and legally justified in separating one section of the Scheduled Castes from the other on the basis of religion in a secular State and deny the special privileges to a section of the same caste which have been given to the other section ? Does not the hon. Member see that the Scheduled Caste Christians and Scheduled Caste Harijans are living in the same village and in the same hut under the same humiliation ? They suffer the same poverty. Then why is it not justified to have the same privileges for the Scheduled Caste Christians also as Scheduled Caste Harijans ?

Sir, he says that the missionaries are propagating the cause of America. Our great religious leader, Swami Vivekananda, went to America and he was given a grand reception there. Is it not written in our books ? Very recently, Balyogeshwar Swami went there. What sort of reception he was given in foreign countries ? Is it not because of the adherence to Hindu principles of these people that these people gave foreign currency and so many things which are brought over here ? Why should our hon. Member get worried about only 1.5 percent of the Christians in India ?

There is only one more point. I think the hon. Member has confessed the religious prejudices that he has against one religion. Sir, there are Christians, Buddhists and Hindus and all these people are enjoying the same privileges in a secular State. If a Christian missionary speaks that somebody should convert into Christianity, it is a sin. But some people are going about in the name of some religion and forcing the Christian people to become Hindus back. They say that they will be given certain privileges if they become Hindus again. Is forcible conversion not a sin ? Is it a sin only for the Christians ? It is not proper for the mover of the Bill to speak on religious basis in this country which is a secular country.

Everybody knows that our Jawaharlal Nehru, our Rajagopalachari and Mahatama Gandhi were educated in Christians institutions and several times Mahatama Gandhi and Rajagopalachari referred to the good work that these missionary institutions were doing. Even today, there are some many intellectual leaders of this country who have been educated in these institutions.

He says that these Christian missionaries are agents of C. I. A. When the missionaries found to the C. I. A. agents then they are sent to their countries back. But while the political parties and individuals who are supporting the C. I. A. and who are taking money from the C. I. A., where should they be sent ? Should they be sent to Andamans ? Is it not the greatest sin to commit themselves to the C. I. A. which is anti-national and anti-Indian ? We are reading in the papers that there are people in our country who are helping the C. I. A. and they are only the people doing as was agents from the parties to which the hon. Mover of the Bill belongs. That party is responsible for helping the CIA activities in India. So, I appeal to the august

House to think about these things, decide and oppose the Bill vehemently and see that we are united secularly, economically, socially and politically. With these words, I take leave of the House. Thank you very much.

SHRI BALACHANDRA MENON (Kerala) : Sir, I oppose this Bill. We are famous the world over for our spirit of tolerance. That is how we have been looking at religion.

No religion is narrowly national. Though I am not a religious man and though I do not believe in any of these religions, I do feel that every one has got a right to join any religion of his choice. That is his fundamental right and we have no business to interfere in that.

We in the East have been responsible for the conversion of people into Christianity. The philosophy of Christianity which speaks of brotherhood, the fraternal relationship that Islam preaches and the philosophy of the Gita, all these have contributed to world culture. It is absolutely wrong to think of religion in narrow national terms. If there are CIA agents in the country it is for the Government to send them out but no one should stand in the way of any religion. The right of propaganda is the right of every individual. *Lokah samastah sukhino bhavantu.* Even during the Vedic period they were allowed to exist. This is the right of the individual. If you have faith in your religion naturally you will see that your child also adopts it. If I have no faith in religion I will try to teach my child about it, and if I am able to win it over, it is well and good ; if not, it is fundamental right to join any religion which it wants. I do not want any sort of State interference in these things. The very foundation of our secularism lies in this that we respect all these religions which want to flourish. I therefore suggest, in our anxiety to see the CIA out let us not chase shadows.

Coming as I do from Kerala where we have got the oldest Christian church coming as I do from Kerala where we have got the oldest followers of Islam, coming as I do from Kerala where we have got the oldest Vedic Brahmins and also coming as I do from Kerala where the oldest Jews are there, this tolerant outlook is one thing which we have got and that at least should not be lost by our narrow national prejudices. That is all that I would like to say.

SHRI F. H. MOHSIN: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am glad that many Members have evinced interest in this Bill and contributed to the debate. Shri Man Singh Varma has moved this amending Bill which seeks to amend sub-section (1) of section 3 of the Foreigners Act. He wants to add a proviso which reads :

> "Provided that the Central Government shall, by order, prohibit entry of a foreigner into India if it is satisfied that the foreigner seeking entry into India is likely to engage, overtly or covertly, in any proselytising activity."

According to the Statement of Objects and Reasons, the Bill is intended to restrict the entry into India of foreign missionaries who were stated to be widely abusing the freedom presently available to them to carry on their proselytising work with the result that disruptive and subvertive activities are on the increase in the country.

Sir, in sub-section (1) of section 3 of the Foreigners Act, 1946, the provision reads as under:-

> "The Central Government may, by order, make provision either generally or with respect to all foreigners or with respect to any particular foreigner or any prescribed class or description of foreigner for prohibiting, regulating or restricting the entry of foreigners into India or their departure therefrom or their presence or continued presence therein."

Under clause (a) of sub-section (2) of section 3 of the Foreigners Act, orders can be issued to provide that a foreigner shall not enter India or shall enter India only at a specified time and a specified place and subject to such conditions on arrival as may be prescribed. So it will thus be seen that under the existing provisions of the foreigners Act there are sufficient powers to regulate the entry of foreigners and also to check their activities in India. Even under the rules and regulations under the Passport Act, 1920, there are provisions to check such activities of the foreigners ; before actually issuing the passport or visa one can see with what intent a foreigner wants to visit India. Under the policy governing the admission of the foreign missionaries in India foreign missionaries coming for the first time are admited only if they possess outstanding qualifications and if no suitable Indians are available. This is the policy of the Government. In the case of missionaries coming

[Shri F. M. Mohsin]
for medical, educational and other important work the need for ensuring that the services rendered by the institution to the locality does not suffer for lack of personnel is also borne in mind. It is our common experience that there are so many schools, hospitals and other institutions where the missionaries are coming and working since a long time. Unless we get Indians to substitute them we cannot bar the entry of the missionaries if their services are quite essential to such institutions. So all applications for entry into India from foreign missionaries are duly examined by the Government of India before they are granted permission to enter the country. My friend, Mr. Varma, has said that many of the missionaries who have come to India are engaging themselves in anti-social and anti-national activities. There might be some instances ; I do not say that there are instances of that sort. But whenever we have came to know of such activities we have taken action. We cannot certainly make a generalisation and say that they are all indulging in prejudicial activities. Many of the missionaries are doing very good work. They have gone into the most backward and tribal areas and have provided the people there with schools and hospitals which none of us has done so far. I would only urge upon those people who criticize the missionaries' work—of course if to go and work in these backward areas. Missionareis indulge in anti-national activities they must be thrown out ; there can be no second opinion about it. But when there are missionaries who are doing very good work, which we Indians have not done at least they deserve a little praise from us and from everybody else.

According to the information available with us the number of foreign missionaries in India excluding those from Commonwealth countries was 5783 in 1954. In 1955 they numbered 5705 and in 1969 the figure came down to 3663. In 1970 the figure was 3,334. In 1971 it was 3,144. So, it can be seen that from 1945 when the number was 5783, it has come down to 3,144.

SHRI PITAMBER DAS : Excuse me, I would like to know whether this trend in the numbers falling is on account of any particular policies pursued by the Government or is it in the ordinary course ?

SHRI F. H. MOHSIN : Surely it is the policy of the Government to allow only such missionaries whose services are quite essential for the running of institutions like educational institutions, hospitals and other social activities. We also make it a point ordinarily not to admit a missionary solely for evangelistic work. Form the Commonwealth countries—I have got the figures—the total number of missionaries at present is 2,265. Although I have got the figures from various nations, I do not think that it is necessary. Anyway, it is very clear to the House that the number of foreign missionaries coming to India has been decreasing significantly. Under the existing provisions of the Foreigners Act, 1946, the Government have adequate powers to prevent the entry into India of a foreigner whose presence is not wanted here. My friend, Mr. Varma, also wants us to take precautions before their entry, but how are we to know before his entry that this man is going to engage himself in anti-national or anti-social activities ? Later on, after his entry, if the Government comes to know, of such activities we will certainly take action. For the information of the House I may say that we have served orders to leave India against ten persons in the year 1967-68. The missionaries belong to various countries, including the U. K., America, Canada, Italy and Portugal. It is clear that we have not hesitated to take action against any missionary who has engaged himself in undesirable activities. My friend, Mr. Ruthnaswamy, quoted the constitutional provision. Article 25 (1) says:—

> "Subject to public order, morality and health and to the others of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion."

It is, therefore, open to any person to carry on religious propaganda on legitimate lines. We cannot stop religious propaganda altogether. It is their fundamental right and it is the right of all religions to propagate their own religion freely, but we do not want any type of conversion through force or through unfair means or illegal means or through some other temptation. If any complaints are received, we try to take action against such persons and we have already taken action.

SHRI H. S. NARASIAH (Mysore) : The question is whether the Constitution is applicable to the foreigners or only to the citizens of India.

SHRI F. H. MOHSIN : This position is for all persons. Mr. Varma said that the policy of the Government was only to capture votes. I strongly refute that. Of course, if the minorities have voted for our party it is for the secular ideals which our party professes. How can you expect, Mr. Varma with the ideals of your party that the minorities would vote for your party ? It is only because of the ideals of the party and the election manifesto they were attracted. Why only Christians ? Quite a large section of all communities, the majority of Hindus, I think 80 per cent Hindus, have voted for us and also a good percentage of other minorities. So, it is not with any other idea that those persons have voted for our party, it is for our ideals that they have voted for us.

Mr. Verma mentioned about a circular that was issued by the head of a church in Bangalore. Sir, it was not at our instance that the head of that church might have issued any circular, if he has issued any circular. But it was his right to give directions to his own men or to advise his own men. He must have done it of his own accord, of his own free will. How can any one stop him from giving advice. The hon. Member also mentioned that the converts to Christianity from the Scheduled Castes should not be treated as Scheduled Castes. It is a question for the State Governments to decide and if they decide in one way or the other, we have nothing to do in the matter.

He also made a point that foreign money was coming into India and that it is used for illegal and immoral purposes. Of course, we know that foreign money is coming. Many hospitals and schools are giving monetary aid from the foreign churches and foreign organisations and foreign missions abroad. We know. But we also know that some of this money which is coming into India is put to bad use. Government is aware of these things. We have also announced that we are thinking about bringing forward legislation to regulate the entry of such foreign money into India so that it may not be used for illegal and immoral purposes and for anti-national and anti-social activities.

So, it will thus be seen that we have already got adequate powers under the existing laws to regulate the admission into India of foreigners. If a foreign missionary comes to notice, of indulging in any undesirable activity, suitable action has been taken and will be taken against him under the provisions of the appropriate laws. Any person promoting conversions of any law can be adequately dealt with. We have got the provisions of the IPC under which any person engaging himself thus can be punished. It is under sections 352, 506 and 508 for dealing with general offences by the use of criminal force or by criminal intimidation. So we have adequate provisions and I do not think there is any necessity for this Bill. If we agree to his legislation, it is likely to create an erroneous impression amongst the public that there is a largescale conversion by the foreigners of people from one religion to another in this country. Such an impression in its turn is likely to create tension and a feeling of uneasiness amongst the various sections of the public who are at present living in peace and amity.

So in the interest of maintaining harmonious relations amongst the people professing the different faiths, I do not think that such a legislation is appropriate. I would appeal to the hon. Member not to Press his Bill.

श्री मान सिंह वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उन सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने इस बिल पर अपने विचार प्रगट किए है, विशेष रूप से कांग्रेस के जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, उनका भी मैं आभारी हूं । उनमें से अनेक ने इस बिल का लाने का जो उद्देश्य था उससे सहमति प्रगट की है, परन्तु सहमति प्रगट करते-करते फिर वे राजनैतिक इमोशन्स में, राजनैतिक भावना में बह गए । मैं समझता हूं, इस बिल को लाने के उद्देश्य में किसी प्रकार की कोई राजनैतिक भावना नहीं । माननीय मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि विदेशी मिशनरियों के द्वारा इस देश में इस प्रकार के कार्य किये गये जो हमारे राष्ट्र के हित में नहीं थे और यही कारण है उन्होंने इस बात को एड्मिट किया है, माना है कि सरकार की यह नीति हो गई है कि वह धीरे-धीरे, जो विदेशी मिशनरी हैं उनको कम करते जा रहे हैं । यह इसका सबूत है कि मैंने जो बिल पेश किया है उसकी भावना से सहमत हैं । यदि ऐसा नहीं होता तो फिर मिशनरियों की तादाद बढ़ जानी चाहिए थी । लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया, भाई

[श्री मान सिह वर्मा]
पीताम्बर दास जी ने प्रश्न किया था और मै समझता हू वह इतना बढिया प्रश्न था कि उसने मेरे इस बिल पर बहुत बड़ा प्रकाश डाला है। मत्री जी ने यह एडमिट कर लिया कि सरकार की यह नीति है कि विदेशी मिशनरियो को धीरे-धीरे यहा आने मे रोका जाय। क्यो रोका जाय, क्योकि उनकी गतिविधिया विश्वसनीय नही है, तो मै समझता हू कि मेरे बिल का मिशन भी यही था।

जहा तक धर्म परिवर्तन करने का प्रश्न है, जैसा मैंने प्रारम्भ मे कहा कि इस देश मे सबको अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतत्रता है, यह कार्य सब कर सकते है, किन्तु श्री रत्नस्वामी जी ने विधान का हवाला दिया। मै उनसे यह निवेदन करना चाहता हू कि वे बडे सीनियर मेम्बर है और भारतवर्ष का जो विधान है वह भारतवर्ष के लिए ही है, ससार भर के लिए नही है। इसमे जो स्वतत्रता दी गई है वह भारतवर्ष के लिए दी गई है, वह अमेरिका, रूस और जर्मनी के लिए नही दी गई है। जब से यह विधान बना है तब से यहा पर स्वतत्रता नही है, बल्कि आदिकाल से इस चीज की स्वतत्रता रही है कि कोई भी धर्म वाला किसी की पूजा कर सकता है और अपने इष्टदेव को मान सकता है। यहा की सस्कृति इतनी उदार रही की कभी भी किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन और किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध किसी के ऊपर नही लगा। तो फिर मै कहना चाहता हू कि आप विधान का हवाला क्यो देते है। मै यह कहना चाहता हू कि मेरे बिल लाने का जो उद्देश्य था वह यही था कि अब तक जो विधान है, फारेनर्स ऐक्ट 1946 मे जो प्रविधान किया गया है उसको आज और भी शक्तिशाली बनाया जाय; क्योकि आपने स्वय इस बात को एडमिट किया है कि अनेक पादरी यहा आकर धर्म के नाम पर और उसकी आड मे प्रचार करते है और तरह-तरह के काम करते है, जिससे हमारे देश के हितो को ठेस पहुचती है। आप स्वय इस बात को मानते है और आप मानते है कि धीरे-धीरे इसको कम करते चले जा रहे है।

प्रत्येक सदस्य जो बोला है उसने यह डका पीटा है कि मिशनरीज यहा पर अच्छा काम कर रहे है। यह बात तो मै भी मानता हू कि इन लोगो ने अच्छा काम किया है, लेकिन मै फिर यह कहना चाहता हू कि अच्छे काम के पीछे उनका स्वार्थ छिपा हुआ था। एक व्यक्ति किसी परिवार मे जाता है, वह वहा पर हर एक से अच्छा व्यवहार करता है, सबके साथ सद्भाव पैदा करता है, उस परिवार के लिए बडा खर्चा करता है और इस तरह से वह सब परिवार वालो को खरीद लेता है। इन सब बातो के साथ ही साथ वह एक बदमाशी का भी काम करता है, तो फिर उसकी जितनी भलाई है, वह समाप्त हो जाती है।

मै जानता हू कि आदिवासी इलाको मे जहा आर्यसमाज नही पहुच सका, हमारे जो रामतीर्थ मिशन वाले है, विवेकानन्द मिशन वाले है, वे वहा नही पहुच सके, लेकिन जो मिशनरी वाले है, वे वहा पर पहुच गये और वहा पर सामाजिक कार्य करने लगे। इन लोगो ने वहा के लोगो का जीवन स्तर ऊचा उठाने की कोशिश की और उनका जीवन स्तर ऊचा उठाया। लेकिन जहा पर ये लोग काम कर रहे है, वहा जाकर देखिये कि जिन लोगो का जीवनस्तर ऊचा हो गया है वे पहिले क्या थे और अब क्या हो गये है? पहिले वे हिन्दू थे और अब वे क्रिश्चियन हो गये है। आखिर यह कवर्जन क्यो किया गया, क्योकि यही उनका मुख्य उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को लेकर ये मिशनरीज लोग यहा पर धर्म का प्रचार करते है, जिसके लिए कोई भी मुमानियत नही है। लेकिन विदेशी लोग इस प्रकार की गति-विधिया करते है, उसको रोकने की आवश्यकता है।

मै नाम नही जानता हू, लेकिन हमारे जो सामने काग्रेस के सदस्य बैठे है, उन्होने यह कहा कि क्रिश्चियनो मे भी शिड्यूल्ड कास्ट होते है। यह बात तो पहली बार मैंने सुनी कि क्रिश्चियनो मे भी शिड्यूल्ड कास्ट वाले होते है। अगर शिड्यूल्ड कास्ट क्रिश्चियन हो गये तो फिर वे शिड्यूल्ड कास्ट किस तरह

से रहे ? अगर कोई क्रिश्चियन बनने के बाद शिड्यूल्ड कास्ट रहेगा, बौद्ध बनने के बाद शिड्यूल्ड कास्ट रहेगा, तो फिर उनमें अन्तर क्या रह जायेगा ? एक तरफ तो आप यह कहते है कि क्रिश्चियन मिशनरीज इस तरह का कार्य कर रही है, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊचा हो जाता है । मैने भी यह देखा है कि जो लोग पहिले बैकवर्ड थे, कमजोर थे, वे आगे बढ़ गये है, एडवास हो गये है और फिर वे किस प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट रह सकते है? ये लोग मिशनरीज अमेरिका से रुपया लेकर यहां पर इस तरह से धर्म परिवर्तन कर रहे है और यह रुपया उन्हे केवल गरीबो की सहायता के लिए ही मिला था, तो मै इस चीज का तीव्र विरोध करता हू । मेरा कहना यह है कि जो लोग अपना मत बदल लेते है, जो लोग बौद्ध बन जाते है, क्रिश्चियन हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते है, उनको वे सुविधाए प्राप्त नहीं होनी चाहियें जो हरिजनों को प्राप्त होती है और शिड्यूल्ड कास्ट वालों को प्राप्त होती है ।

4 P. M.

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : जो बौद्ध हो जायं ।

श्री मान सिंह वर्मा : उनको भी नही मिलनी चाहिए। इसी लिए बौद्ध हुये कि शेड्यूल्ड कास्ट न रहे । हरिजन रहते हुये, शेड्यूल्ड कास्ट रहते हुये, छुआछूत की जाती थी, इन बातों से परेशान होकर ही वे कन्वर्ट हो गये, ईसाई बन गये, बौद्ध बन गये । वहां जाकर भी वैसे के वैसे रहे तो अन्तर क्या हुआ ? श्री मेनन ने एक बात कह दी our tolerance is famous. इसमें टालरेंस की बात नहीं है । टालरेंस वही तक होती है जब तक अपना इन्टरेस्ट क्लेश नहीं करता । जब राष्ट्र का हित आता है तो टालरेंस समाप्त हो जाती है । अभी वे खुले आम प्रचार करते है, सड़कों पर करते है, मेरे मकान के सामने प्रति दिन प्रवचन होते हैं पादरी साहब के । इस पर किसी को आपत्ति नही है । लेकिन जब बाहर से यह उद्देश्य लेकर आते हैं कि धर्म के प्रचार के नाम पर जाएं और चुपके-चुपके ईसाई बना लें तो इस पर रोक होनी चाहिए । उनका काम ईसाई बनाने तक ही सीमित नहीं है, जिस प्रकार की उनकी एक्टिविटी है वह आप स्वयं जानते है, आपने स्वीकार किया है और कहा है कि आप उनकी गतिविधि रोकने जा रहे है । माननीय मंत्री जी ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि इस प्रकार के प्रोवीजन्स, इस प्रकार के प्रावधान हमारे यहा हैं पहले से और हम चाहे तो जो इस प्रकार की अराष्ट्रीय गतिविधिया है उनको रोक सकते है । उन्होंने इस बात के लिए आश्वासन भी दिया है—उन्होंने कहा है कि सरकार इस बात के लिये चिन्तित है, सरकार इस बात के लिए सतर्क है—कि कोई भी ईसाई मिशनरी बाहर से आता है, यदि उसकी गतिविधियां हमारे राष्ट्र के विरोध मे है, समाज के विरोध मे है तो फिर उसको रोकेंगे। इसके लिये उन्होंने आश्वासन दिया है । मै समझता हू कि इन आश्वासनो के पश्चात मुझे अपने इस बिल को प्रेस नहीं करना चाहिये और इस कारण मै इसको वापस लेता हूं ।

The Bill was, by leave, withdrawn.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, the other side applauded. Very good. But a better gesture will be that when we ask them to withdraw a Bill, they should do likewise.

THE PUBLICATION OF POLITICAL PARTY ACCOUNTS BILL, 1968.

श्री पीताम्बर दास : श्रीमन्, मै प्रस्ताव करता हू कि 'दि पब्लिकेशन आफ पोलिटिकल पार्टीज एकाउन्ट्स बिल, 1968' पर विचार किया जाय । श्रीमन्, यह बिल बहुत सीधा-सादा है, कुछ ज्यादा इसमें बहस की बात नहीं है । कुछ ज्यादा पेचीदगिया भी नही हैं । जो इसके उद्देश्य और कारण हैं उसमें मैने इसे लाने का कारण बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया है । वास्तव मे राजनीतिक दलों को संविधान में कोई मान्यता नही है । संविधान में राजनीतिक दलों का जिक्र भी नहीं है । लेकिन रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल्स एक्ट, 1951 के अन्दर जो इलेक्शन कमीशन को नियम बनाने का अधिकार है, उसमे उन्होंने कुछ शर्तो के पूरा हो जाने पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का